



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 765/2019

Abdul Aziz S/o Abdul Basir

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Sanjay Yadav, Adv. for Mr.
Shamsuddin Ansari, Adv.

For Respondent(s) : Mr. B S Sharma, PP
Mr. Daksh Pareek, Adv.
Mr. Arjun Singh, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

07/10/2023

विद्वान अधिवक्त याची/अभियुक्त द्वारा आज बहस हेतु अवसर चाहा।

विद्वान अधिवक्ता परिवादी की गंभीर आपत्ति है कि पिछले साढ़े चार वर्ष से अंतरिम आदेश चलने से अनुसंधान में प्रगति नहीं हो रही है और उनका हित विपरीत रूप से प्रभावित हो रहा है तथा उनकी ओर से वर्ष 2022 में ही अंतरिम आदेश को समाप्त किये जाने हेतु आवेदन पेश किया जा चुका है। उनकी अनुपस्थिति में अंतरिम आदेश पारित किया गया है।

न्यायहित में अभियुक्त पक्ष को एक अवसर दिया जाता है। आगामी सुनवाई की तिथि पर आवश्यक रूप से बहस सुनी जाएगी। यदि आगामी सुनवाई की तिथि पर भी स्थगन चाहा

गया तो अंतरिम आदेश समाप्त किये जाने पर विचार किया जाएगा।

पत्रावली दिनांक 17.10.23 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे। तब तक पूर्व में पारित अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /165